

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.co
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 9528

दिनांक : 13-03-2023

प्रति,


सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
एम0एम0डी0 महाविद्यालय, जगन्नाथपुरा
अटेर, भिण्ड

विषय :- माननीय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार अर्थदंड राशि जमा किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03 मार्च 2023 के पद क्रमांक 08 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा परिणियम 28(17) के अंतर्गत नियुक्ति संबंधित शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ती नहीं किये जाने के कारण एवं निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाने के कारण महाविद्यालय पर राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।

अतः कार्यपरिषद के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आरोपित अर्थदंड राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये दिनांक 15.03.2023 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियत अवधि में अर्थदंड जमा नहीं कराये जाने पर संबंधित महाविद्यालय को सत्र 2022-23 की सम्बद्धता प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा तथा भविष्य में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के परीक्षा एवं अन्य प्रकरणों में होने वाली समस्त असुविधा एवं न्यायालयीन कार्यवाही हेतु महाविद्यालय सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या स्वयं जिम्मेदार होंगे।


कुलसचिव 1313

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्प्लेक्स, लश्कर ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल, विश्वविद्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित हेतु।


निदेशक

महाविद्यालयीन विकास परिषद्